आदेश ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 321/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

बजाज फाईनेन्स लिमिटेड रजिस्टर्ड कार्यालय मुंबई पुणे रोड, एकुरडी, पुणे महाराष्ट्र, 411035 क्षेत्रीय कार्यालय पांचवीं मंजिल, मंगलम एम्बीशन टावर, डी– 46–बी, अग्रसेन सर्किल, सुभाष मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर। अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री विनय सौबती ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री हेमन्त कुमार टांक पुत्र श्री शरद कुमार टांक
2. श्रीमती आशा टांक पत्नी श्री शरद कुमार टांक
3. श्री शरद कुमार
4. सोनाली टांक पुत्री श्री शरद कुमार टांक
5. मनाली टांक पुत्री श्री शरद कुमार टांक

पता :– बी–73, कल्याण मोर्टस के पीछे, विधुत नगर, अजमेर रोड, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

उपस्थित :–

1. श्री रवि कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से।
2. श्री हरीश कुमार अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

आदेश दिनांक 19.01.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 29.04.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी आशा टांक पत्नी श्री शरद कुमार टांक के स्वामित्व की सम्पत्ति उत्तर दक्षिण भाग, तृतीय फ्लोर, चमेली वाला मार्केट, मुमताज बाग, एम.आई. रोड जयपुर क्षेत्रफल 253.92 वर्गफिट को बन्धक रख कर 67,63,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 03.03.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

Scanned by CamScanner

पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक उक्त सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री हरीश कुमार ने वकालतनामा पेश कर प्रार्थना पत्र की प्रति व जवाब हेतु अवसर चाहा है। प्रार्थी वित्तीय संस्था को बंधक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा क्यों नहीं दिलाया जाये इस बाबत कोई उचित कारण नहीं बताया। सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का 30 दिवस या अधिकतम 60 दिवस में निस्तारण किये जाने के प्रावधान है, इसलिए और अधिक समय दिया जाना उचित नही है।

3. उभय पक्ष अधिवक्ता को गौर से सुना गया । पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 05 अगस्त, 2016 के कम संख्या 182 पर सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 67,63,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार, ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 67,73,550/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 03.03.2020 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी आशा टांक पत्नी श्री शरद कुमार टांक के स्वामित्व की सम्पत्ति उत्तर दक्षिण भाग, तृतीय फ्लोर, चमेली वाला मार्केट, मुमताज बाग, एम.आई. रोड जयपुर क्षेत्रफल 253.92 वर्गफिट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो ।

8. आदेश आज दिनांक 19.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

19/1/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned by CamScanner